मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय भोपाल.

क्रमांक/डी–17–16/2018/14–3 भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2019

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स
मध्यप्रदेश ।

विषयः– "जय किसान फसल ऋण माफी योजना" के संबंध में जिलों से प्राप्त प्रश्नों Frequently Asked Questions (FAQ) के समाधान विषयक।

संदर्भः– विभागीय समसंख्यक आदेश दि. 07 जनवरी, 2019, 08 जनवरी 2019 एवं 09 जनवरी 2019

—00—

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के संबंध में जिलों से प्राप्त प्रश्नों के आधार पर Frequently Asked Questions (FAQ) के समाधान निम्नानुसार हैं :–

क्र.	प्रश्न	समाधान
1.	2.	3.
1.	कुछ वृद्ध ऋणधारी कृषकों के बायोमेट्रिक मशीन में फिंगर प्रिंट इत्यादि स्पष्ट नहीं होने के कारण उनके आधार कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, जबकि उनको बैंकों से ऋण है। ऐसे प्रकरणों में क्या किया जावें ?	जय किसान फसल ऋण माफी योजना में ऋण खातें में आधार सीडिंग अनिवार्य है। आधार कार्ड नहीं होने के संबंध में इंरोलमेंट आइडेन्टीफिकेशन नम्बर के उपयोग के संबंध में पूर्व से ही निर्देश जारी किए गए हैं। यदि वृद्धावस्था के कारण कृषक के बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट इत्यादि की पुष्टि नहीं होने के कारण आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है तो ऐसी स्थिति में जिला कलेक्टर द्वारा स्वयं अथवा उप जिला कलेक्टर स्तर के अधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा कि उक्त कारणों से नवीन आधार कार्ड नहीं बन सकता है। उक्त प्रमाणीकरण आवेदक द्वारा भरे गए गुलाबी आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से संलग्न किया जावे। साथ ही ऋण खाताधारी किसान से शपथ पत्र प्राप्त कर संलग्न किया जावे कि उनके द्वारा किसी अन्य बैंक से कोई फसल ऋण प्राप्त नहीं किया गया है, ऐसे प्रकरणों को पृथक से कलेक्टर लाग–इन से इन्द्राज करने के लिए पोर्टल पर व्यवस्था की जा रही है।
2.	कुछ ऐसे संयुक्त खाते हैं जिनमें ऋणधारी के अतिरिक्त जो अन्य व्यक्ति के भूमि के शामिली खाते में जिनके नाम दर्ज हैं, वह आयकर दाता है । जिस कारण वह निर्हरता की श्रेणी में आ रहे हैं । ऐसे प्रकरणों में क्या किया जावें ?	(1) ऐसे संयुक्त खाते, जिनमें फसल ऋण संयुक्त खाताधारकों के नाम पर संयुक्त रूप से है और उनमें से कोई भी ऋण खाताधारक योजना में निरहरता की श्रेणी में आता हो, तो समस्त ऋण खाताधारकों को निरहरता की श्रेणी में माना जावेगा। (2) यदि अन्य संयुक्त खाताधारकों की सहमति के उपरान्त केवल एक ही व्यक्ति के नाम पर बैंक द्वारा फसल ऋण स्वीकृत किया गया है और वह व्यक्ति योजना में पात्र है, भले ही भूमि के संयुक्त खातेदार अपात्र श्रेणी में हों, तो संबंधित हितग्राही योजना में पात्र माना जावेगा।

क्र.	प्रश्न	समाधान
1.	2.	3.
3.	जिस हितग्राही के द्वारा ऋण लिया गया है, उसकी मृत्यु हो चुकी है तो उनके वारिस की तरफ से किस प्रकार से दावा किया जावेगा ?	ऐसे प्रकरण में सर्वप्रथम संबंधित मृतक के वारिस से गुलाबी फार्म भाग–1 भरवाया जावे तथा वारिस का स्वयं का आधार नम्बर दर्ज कराया जावे। तदुपरान्त समस्त वैध वारिस संपूर्ण अभिलेख सहित संबंधित बैंक शाखा में जाकर बैंक की वारिसान घोषित किए जाने की नियत प्रकिया का विधिवत पालन सुनिश्चित एवं पूर्ण करावें। प्रकरण की संपूर्ण फाईल को जिला स्तरीय कियान्वयन समिति में ऑफलाईन रखा जाकर उस आधार पर प्रकरणवार निर्णय कराया जावे। जिला स्तरीय कियान्वयन समिति को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रकरण में मृतक के वारिस के अन्य फसल ऋण खातों सहित रूपये 2.00 लाख से अधिक के चालू/कालातीत फसल ऋण माफ ना हों।
4.	यदि हितग्राही जेल में है तो उनके द्वारा स्वयं फार्म जमा नहीं करने की स्थिति में क्या करना होगा ?	हितग्राही के संबंधियों/रिश्तेदारों के द्वारा नियत आवेदन पत्र जेल में हितग्राही से भरवाया जावे, जिस पर संबंधित जेल अधीक्षक से प्रमाणीकरण करवाया जावे तथा पत्र भी प्राप्त किया जावे कि उक्त हितग्राही जेल में कब से निरूद्व है। उक्त कार्यवाही उपरान्त ऐसे आवेदन पत्र को हितग्राही के संबंधियों/रिश्तेदार द्वारा कलेक्टर कार्यालय में जमा कराया जावे ।
5.	कुछ हितग्राहियों द्वारा हरे/सफेद फार्म भरने के उपरान्त उसमें भरी गई राशि के स्थान पर उनके द्वारा बैंक में दिनांक 31 मार्च, 2018 को बकाया ऋण की राशि बढ़ाने के संबंध में पुनः पोर्टल खोलने अथवा गुलाबी फार्म भरने की मांग की जा रही है। ऐसे प्रकरणों में क्या किया जावें ?	जिस आवेदन पत्र को हितग्राही द्वारा जानकारी भरकर ग्राम पंचायत में जमा करायी जा चुकी है तथा पोर्टल पर जानकारी दर्ज की जा चुकी है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव मान्य नहीं होगा। वैसे भी आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी को ऑनलाईन किए जाने उपरांत बैंक शाखा के अभिलेखों से समस्त जानकारी का सत्यापन किया जाना योजना में नियत है।
6.	कुछ फार्म भरने में डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के स्तर से त्रुटि हुई हो तो उक्त जानकारी में किस प्रकार सुधार किया जावे ?	इस संबंध में कलेक्टर लाग–इन स्तर पर Edit की सुविधा प्रदान की गई है और इस प्रकार का सुधार कलेक्टर लाग–इन से ही संभव है। अतः उक्त प्रकार के प्रकरण को कलेक्टर कार्यालय में प्राप्त कर परीक्षण उपरान्त आवश्यकतानुसार सुधार की कार्यवाही कलेक्टर स्तर से की जावे ।
7.	ऐसे प्रकरण में जिन्हें बैंक द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2018 को ऋण बकाया का खाता बन्द कर दिया गया है। ऐसे प्रकरण में क्या किया जाना है ?	बैंक शाखा प्रबंधक को यह सुविधा दी गई है कि जिन फसल ऋण खातों को बैंक के द्वारा सीबीएस में बंद कर दिया गया है, ऐसे बैंक ऋण खातों के स्थान पर बैंक शाखा प्रबंधक द्वारा किसान का अन्य खाता का क्रमांक (जानकारी) पोर्टल पर दर्ज की जा सकेगी, जिसके आधार पर खाते में राशि अंतरित की जावेगी ।

क्र.	प्रश्न	समाधान
1.	2.	3.
8.	ऐसे प्रकरणों जिसमें हितग्राही निरहरता की श्रेणी में हों और उस तथ्य को स्व–घोषणा में उसे छिपाया गया हों, परन्तु नोडल ऑफीसर द्वारा चेक लिस्ट में यह टीप दी गई कि आवेदक निरहरता की श्रेणी में आ रहा है तो ऐसे प्रकरणों में क्या किया जावे ?	इस प्रकार के प्रकरणों में सर्वप्रथम प्रेषित प्रकरणों को निरस्त किया जावे। यदि कोई प्रकरण पोर्टल पर अपलोड हो भी गया है तो जिला स्तरीय कियान्वयन समिति द्वारा ऐसे प्रकरण निरस्त कर संबंधित आवेदकों को सूचित किया जावे तथा संबंधित आवेदकों के विरूद्व आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जावे ।

कृपया उक्तानुसार समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें।

(डॉ. राजश्री राजोरा)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

पृ0 क्रमांक/डी–17–16/2018/14–3 भोपाल,दिनांक 04 फरवरी, 2019

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, समन्वय, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, मंत्रालय, भोपाल।
4. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन (समस्त) ।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन (समस्त)
6. सचिव, म.प्र.शासन, (समस्त)।
7. विभागाध्यक्ष (समस्त) म.प्र.।
8. मुख्य महाप्रंबधक, नाबार्ड, म.प्र., भोपाल।
9. राज्य सूचना अधिकारी (SIO) NIC भोपाल ।
10. राज्य समन्वयक,एस.एल.बी.सी. राज्य समन्वयक बैंकर्स समिति, भोपाल को समस्त राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रेषणार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंकित।
11. संभागायुक्त, (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत– समस्त, को पालनार्थ।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग